6/12/16 वकुलाय फरीकेन उप० । कार्यालय समय समाप्त दिनांक 19/12/16 को पेश हो।

19.12.16 वकुलाय फरीकेन उप० प्रार्थनानुसार वास्ते बहस दिनांक 10/1/17 को पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित पूर्वादिशानुसार
पत्रावली दिनांक 17-1-17 को पेश हो ।

17/1/17
पत्रावली प्रस्तुत/पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/
~~दौरे~~ पर / ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है । अतः
पत्रावली पूर्वादिशानुसार दिनांक 24/1/17
को पेश हो ।

24.01.17 वकुलाय फरीकेन उप० उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान ने जरिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कि आराजीयात ख०नं० 523 वाके कस्बा हिण्डौन के दक्षिण पूर्वी कोने पर रास्ते के लगता भूमि पर गैर सायलान अनावेदक कब्जा नहीं करे और ना ही किसी से करावे के लिए पाबन्द फरमाये जाने की इस्तदुआ की

PTO

फर्द अहकाम

गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना में दर्ज किया है कि सायलान के ख०नं० 523 को रास्ता ख०नं० 548 में से होकर आ रहा है। जो कि नगरपालिका हिण्डौन द्वारा सीमेन्ट सड़क बनाकर करौली रोड से मिला हुआ है।

दौराने बहस भी उक्त तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उभय पक्षो के मध्य रास्ते का विवाद है। अतः उभय पक्ष सायलान एवं गैरसायलान को जरिए आर्डर निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूलदावा के निस्तारण तक उभयपक्ष विवादित आराजियात ख०नं० 523, 548, 550 की मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। शांतिपूर्वक विवादित आराजियात पर मौके रास्ता का उपयोग उपभोग करें। ख०नं० 523, 548, 550 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी की अन्तिम दावा निर्णय यथावत स्थिति रखें।

पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से खारिज की जाकर बाद तकमील शामिल मूलदावा किया जावे।

निर्णय दिनाँक 24.01.2017 को रुबरु इजलास सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन